



FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री वलवीर सिंह बनाम श्री दीसा व अन्य

किस्म मुकदमा U/S 53, 88, 188 CrP & 136 CrP मु0न029 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
12-3-19	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 29 से 31 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 15-4-19 को पेश हो।	सम्मन पत्र 869-39 13-3-19
15-4-19	वकील वादी उप-वामीली रिपोर्ट प्रेषित है। मतः वकील वादी सात दिवस में जति. सं. 1 से 3 के सम्मन तत्कालीन जाफ़रुल कर्ण से प्रस्तुत करें जो प्रस्तुत होने पर जारी हो। पत्रावली दि. 15-05-19 को पेश हो।	(जसमीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
15-5-19	वकुल: ए. फरी. उप. पी.ओ. सा. दीगूर प्रशा. कार्यो ध्यस्त / पी.ओ. सा. दीगूर प्रशा. कार्यो ध्यस्त पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. मपक्ष दिनांक 9-7-19 को पेश हों।	
09-7-19	वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित। वकील श्री सुरनरिंह-जोशान ने जति. सं. 1, 3 से 6, 11 से 25 की कोर से कमापतनामा प्रस्तुत किया। 18 व 19 की कोर से हरकरण जी द्वारा ने पावर पेश किया। वादी स्वयं उनके अधिवक्ता को एक-एक कर कई बार कोर्ट पर लगेवात गर्द, परन्तु कोई टाज़िर नहीं जाए। मतः प्रकरण द्वारा टाज़िर व हरक फेरवी से जति. सं. किया जाता है। पत्रावली केसाप सुमार डेकर नम्बर से काम हो।	राहुल सूरी (जसमीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

